

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) धौलपुर

दिनांक:- २२/०३/२०२२

क्रमांक / आपदा प्रबंधन / 2022 / 328

प्रशासनिक स्वीकृति

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक 14503-08 दिनांक 12.11.2021 के अनुसार मानसून वर्ष 2021 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की परिसम्पत्तियों की तात्कालिक अस्थायी मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी. आर.एफ.) से निम्नानुसार प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।

क्र.	ब्लॉक का नाम	कार्य का नाम	लोकेशन	अनुमानित राशि (लाखों में)	कार्यकारी संस्था जिनको कार्य किया जाना है।	जन स्वास्थ्य
1	वाडी	नवीन हैण्ड पम्प संख्या-02	बाबूपुरा	3.00	अधिकांशी अभियंता, जन स्वास्थ्य	स्वास्थ्य
		नवीन हैण्ड पम्प संख्या-03	धनावली	4.50	अभियांत्रिकी विभाग, बाडी।	
		नवीन हैण्ड पम्प संख्या-03	मुतावली	4.50		
		नवीन हैण्ड पम्प संख्या-02	करुआपुरा	3.00		
			योग	15.00		
2	राजाखेडा	नवीन हैण्ड पम्प संख्या-94	ग्राम प0 बसईधीयाराम	136.30	अधिकांशी अभियंता, जन स्वास्थ्य	स्वास्थ्य
			ग्राम प0 फरासपुरा		अभियांत्रिकी विभाग राजाखेडा।	
			ग्राम प0 महदपुरा			
			ग्राम प0 चीलपुरा			
			योग	136.30		
3	सरमथुरा	नवीन हैण्ड पम्प संख्या-05	कौनेसा	12.20	अधिकांशी अभियंता, जन स्वास्थ्य	स्वास्थ्य
			झिरी	12.20	अभियांत्रिकी विभाग बाडी।	
			योग	12.20		
			कुल योग	163.50		

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न शर्तों का पालन किया जावेगा :-

- 1 कार्य तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद शुरू किया जावेगा।
- 2 कार्य आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी गाइड-लाईन के अनुसार कराया जावेगा।
- 3 उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति तत्काल 3 दिवस में भिजवाया जाना आवश्यक है। जिससे वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सके।
- 4 कार्य एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार कराया जायेगा। कार्यकारी संस्था स्वीकृत राशि से अधिक उपयोग न करे।

जिला कलक्टर
धौलपुर

कमांक/आपदा प्रबंधन/2022/ 329

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

11. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज0 जयपुर।
12. संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद धौलपुर।
14. उपखण्डाधिकारी बाडी/राजाखेडा/सरमथुरा
15. प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कले0 धौ0/कोषाधिकारी धौलपुर।
16. विकास अधिकारी प.स. बाडी/राजाखेडा/सरमथुरा
17. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग धौलपुर
18. अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बाडी/राजाखेडा/सरमथुरा
19. तहसीलदार बाडी/राजाखेडा/सरमथुरा।
20. आदेश रक्षित

दिनांक:- २/०३/२०२२



जिला कलक्टर
धौलपुर

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) धौलपुर

दिनांक:- 29/03/2022

क्रमांक/आपदा प्रबंधन/2022/497

वित्तीय स्वीकृति

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक 14503-08 दिनांक 12.11.2021 एवं कार्यालय द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक एतद् द्वारा जारी की जाती है।

आपदा प्रबंधन/2022/328 दिनांक 02.3.2022 एवं सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निम्नानुसार वित्तीय

क	ब्लॉक का नाम	कार्य का नाम	लोकेशन	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाखों में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (लाखों में)	वित्तीय स्वीकृति की राशि (लाखों में)	कार्यकारी संस्था जिनको कार्य किया जाना है।	अधिशारी अभियंता	जन विभाग
1	बाडी	नदीन हैण्ड पम्प संख्या-02	बायपुरा	3.00	3.00	3.00	अधिशारी अभियंता बाडी	अधिशारी अभियंता बाडी	जन विभाग
		नदीन हैण्ड पम्प संख्या-03	धनावली	4.50	4.50	4.50			
		नदीन हैण्ड पम्प संख्या-03	मुतावली	4.50	4.50	4.50			
		नदीन हैण्ड पम्प संख्या-03	कलुआपुरा	3.00	3.00	3.00			
		नदीन हैण्ड पम्प संख्या-02	योग	15.00	15.00	15.00			
2	राजाखेडा	नदीन हैण्ड पम्प संख्या-94	ग्राम प0 बसईधियाराम	136.30	136.30	136.30	अधिशारी अभियंता राजाखेडा।	अधिशारी अभियंता राजाखेडा।	जन विभाग
			ग्राम प0 फरासपुरा						
			ग्राम प0 महदपुरा						
			ग्राम प0 चौलपुरा						
			योग	136.30	136.30	136.30			
3	सरमथुरा	नदीन हैण्ड पम्प संख्या-05	कौनेसा	12.20	12.20	12.20	अधिशारी अभियंता बाडी	अधिशारी अभियंता बाडी	जन विभाग
			झिरी						
			योग	12.20	12.20	12.20			
			कुल योग	163.50	163.50	163.50			

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न शर्तों का पालन किया जावेगा-

- 1-कार्य आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी गाइड-लाइन के अनुसार कराया जावेगा
- 2-कार्य आपदा प्रबंधन, सहायता विभाग जयपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8(1) अ0प्र0सह10/बाढ/6182 दिनांक 8.8.2019 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी
- 3-कार्य वित्तीय स्वीकृति 2021-22 में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 4-कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
- 5-कार्य का सत्यापन उपखण्डाधिकारी एवं कार्यकारी संस्था के तकनीकी अधिकारी से प्रमाणित कराया जाकर प्रस्तुत करेंगे।
- 6-कार्यकारी संस्था को बजट का हस्तांतरण / आवंटन नहीं किया जाकर कार्यकारी संस्था द्वारा बिल पारित करने के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही होगी

जिला कलक्टर
धौलपुर

क्रमांक / आपदा प्रबंधन / 2022 / 478-496

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज0 जयपुर।
2. संगामीय आयुक्त महोदय भरतपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद धौलपुर।
4. उपखण्डाधिकारी बाडी / राजाखेडा / सरमथुरा
5. प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कले0 धौ0 / कोषाधिकारी धौलपुर।
6. विकास अधिकारी प.स. बाडी / राजाखेडा / सरमथुरा
7. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग धौलपुर
8. अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बाडी / राजाखेडा / सरमथुरा
9. सहस्रीलदार बाडी / राजाखेडा / सरमथुरा।
10. आदेश रक्षित

दिनांक:- 29/03/2022

जिला कलक्टर
धौलपुर